भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1036

दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओसीआई कार्डधारक

1036. **सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारकों द्वारा नियमों में हाल ही में किए गए बदलावों,जिसमें प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, संशोधित दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं और कुछ पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त करना शामिल है, के संबंध में उठाई गई चिंताओं का संज्ञान लिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ख) इलेक्ट्रॉनिक ओसीआई की शुरुआत, संशोधित शुल्क संरचना और अद्यतन अनुपालन आवश्यकताएं सहित ओसीआई कार्ड से संबंधित हालिया नीतिगत बदलावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ओसीआई कार्डधारकों से प्रक्रियात्मक कठिनाइयों जैसे कि प्रसंस्करण में देरी,अनिवार्य बायोमेट्रिक/ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया और भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड की वैधता समाप्त होने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) ओसीआई सेवाओं को सुव्यवस्थित करने, प्रसंस्करण में होने वाली देरी को कम करने और ओसीआई कार्डधारकों, विशेष रूप से विदेशों में रहने वाले लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) ओसीआई से संबंधित नीतिगत मामलों का निपटारा गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ओसीआई कार्डधारकों को निर्बाध सेवा प्रदान करने और डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप, ई-ओसीआई पंजीकरण सेवा शुरू की गई है, जिससे आव्रजन मंजूरी के लिए भौतिक ओसीआई कार्ड ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। तथापि , भौतिक ओसीआई कार्ड वैध बने रहेंगे। ई-ओसीआई पंजीकरण सहित ओसीआई कार्ड के आवेदन और प्रसंस्करण की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आवेदन के स्थान की परवाह किए बिना, ओसीआई कार्ड के लिए शुल्क मानकीकृत किया गया है। ई-ओसीआई कार्ड के बारे में https://ociservices.gov.in से अन्य विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं। ई-ओसीआई पंजीकरण में प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के संबंध में प्राप्त चिंताओं का यथाशीघ्र समाधान किया जा रहा है। भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के कार्ड 31.12.2025 से बंद कर दिए गए हैं। ओसीआई कार्डधारकों के हित में ओसीआई सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, डिजिटल और निर्बाध उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने हेतु, विवरणों का ऑनलाइन अद्यतन, त्वरित आव्रजन मंजूरी, ऑनलाइन पंजीकरण और अन्य विविध सेवाएं शुरू की गई हैं।
